-DU/20
113 ...

संख्याः /22/XXIV(6)/2009

एकः

इन्दुधर बौड़ाई,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

कुलपति,
दून विश्वविद्यालय,
देहरादून, उत्तराखण्ड।

शिक्षा अनुभाग–6 देहरादून दिनांक 2 मार्च फरवरी, 2009

विषयः– दून विश्वविद्यालय के लिए कुलसचिव पद के सृजन के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक अपने के पत्र संख्या–608/23/वी0सी0/डी0यू0/2008 दिनांकः 19.08.08 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय दून विश्वविद्यालय के संचालन हेतु निम्नांकित पद को शासनादेश निर्गत होने की तिथि से दिनांकः 28.02.2009 तक, बशर्ते इससे पूर्व यह पद समाप्त न कर दिया जाय, सृजित करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः–

क्रम0 सं0	पद का नाम	वेतनमान रूपये में	पदों की संख्या
1.	कुलसचिव	10650–325–15850	–01–

2– पदधारक को वेतन के अतिरिक्त समय–समय पर निर्गत शासनादेशों के अनुसार महंगाई भत्ता एवं अन्य भत्ते भी देय होंगे।

3– उक्त पद पर नियुक्ति सुसंगत परिनियमावली के अनुसार की जायेगी।

4– उक्त पद के सृजन पर होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2008–09 के आय–व्ययक की अनुदान संख्या–11 के आयोजनागत पक्ष के अधीन लेखाशीर्षक–2202–सामान्य शिक्षा–03–दून विश्वविद्यालय तथा उच्चतम शिक्षा–102 विश्वविद्यालयों को सहायता–05–दून विश्वविद्यालय–20–सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता के नामे डाला जायेगा।

संख्या– 360 /XXIV(6)/2006

प्रेषक,

एस0 के0माहेश्वरी,
अपर सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

कुल सचिव,
दून विश्वविद्यालय,
देहरादून

शिक्षा अनुभाग–6 देहरादून दिनॉकः 30 जून, 2006

विषयः– दून विश्वविद्यालय के लिए पदों का सृजन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कुलपति के पत्रॉकः61/वी0सी0/2006 दिनॉक 3–3–2006 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय दून विश्वविद्यालय के संचालन हेतु निम्नांकित पदों को नियुक्ति होने अथवा शासनादेश निर्गत होने की तिथि जो भी बाद में हो से 28 फरवरी,2007 तक के लिए सृजित करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं बशर्ते कि ये पद इसके पूर्व ही बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त न कर दिये जांयः–

कुलपति कार्यालय

क.स.	पद का नाम	वेतनमान रुपये में	पदों की संख्या
1.	जनसम्पर्क अधिकारी	8000–275–13500	01
2.	निजी सचिव कुलपति	6500–200–10500	01
3.	व्यैक्तिक सहायक	5500–175– 9000	01
4.	प्रवर सहायक	4000–100– 6000	01
5.	कनिष्ठ सहायक	3050–75–3950–80–4590	01
	योग		छः पद

कुल सचिव कार्यालय

1.	व्यैक्तिक सहायक	5500–175–9000	01
2.	प्रवर सहायक	4000–100–6000	01
3.	उप कुल सचिव	8000–275–13500	01
4.	सहायक कुल सचिव(परीक्षा)	6500–200–10500	01
5.	सहायक कुल सचिव(रिकार्ड)	6500–200–10500	01
6.	कनिष्ठ सहायक	3050–75–3950–80–4590	01
	योग		छः पद

वित्त अधिकारी कार्यालय

1.	व्यैक्तिक सहायक	5500–175–9000	01
2.	सहायक लेखाकार	4500–125–7000	01
3.	लेखाकार	5500–175–9000	01
4.	सहायक लेखाकार	4500–125–7000	02
5.	प्रवर सहायक	4000–100–6000	01
6.	स्टोर कीपर	3050–75–3950–80–4590	01
7.	कनिष्ठ सहायक	3050–75–3950–80–4590	01
योग		आठ पद	

विश्वविद्यालय पुस्तकालय

1.	पुस्तकालयाध्यक्ष	8000–275–13500	01
2.	उप पुस्तकालयाध्यक्ष	6500–200–10500	01
3.	सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष	4500–125–7000	02
4.	पुस्तकालय सहायक	3050–75–3950–80–4590	02
योग		छः पद	

अधिष्ठाता छात्र कल्याण कार्यालय

1.	अधिष्ठाता छात्र कल्याण	16400–450–20900–500–22400	01
2.	सहायक अधिष्ठाता छात्र कल्याण	8000–275–13500	01
3.	व्यैक्तिक सहायक	5500–175–9000	01
4.	कनिष्ठ सहायक	3050–75–3950–80–4590	02
योग		पॉच पद	

मानव संसाधन अधिकारी कार्यालय

1.	मानव संसाधन अधिकारी	16400–450–20900–500–22400	01
2.	व्यैक्तिक सहायक	5500–175–9000	01
योग		दो पद	

स्कूल आफ मैनेजमैन्ट

1.	प्रोफेसर	16400–450–20900–500–22400	02
2.	एसोशियेट प्रोफेसर	12000–420–18300	04
3.	सहायक प्रोफेसर	8000–275–13500	06
4.	व्यैक्तिक सहायक	5500–175–9000	01
5.	कनिष्ठ सहायक	3050–75–3950–80–4590	02
योग		पन्द्रह पद	

पर्यावरण एवं प्राकृतिक संसाधन स्कूल

1.	प्रोफेसर	16400–450–20900–500–22400	02
2.	एसोशियेट प्रोफेसर	12000–420–18300	04
3.	सहायक प्रोफेसर	8000–275–13500	06
4.	व्यैक्तिक सहायक	5500–175–9000	01
5.	कनिष्ठ सहायक	3050–75–3950–80–4590	02
योग		पन्द्रह पद	

स्कूल आफ मास कम्युनिकेशन

1.	प्रोफेसर	16400–450–20900–500–22400	02
2.	एसोशियेट प्रोफेसर	12000–420–18300	04
3.	सहायक प्रोफेसर	8000–275–13500	06
4.	व्यैक्तिक सहायक	5500–175–9000	01
5.	कनिष्ठ सहायक	3050– 75–3950–80–4590	02
योग		पन्द्रह पद	

स्कूल आफ सामाजिक विज्ञान

1.	प्रोफेसर	16400–450–20900–500–22400	02
2.	एसोशियेट प्रोफेसर	12000–420–18300	04
3.	सहायक प्रोफेसर	8000–275–13500	06
4.	व्यैक्तिक सहायक	5500– 175–9000	01
5.	कनिष्ठ सहायक	3050–75–3950–80–4590	02
योग		पन्द्रह पद	

कुल ~~30~~ पद १। पद

2–चयन के सम्बन्ध में कार्मिक विभाग द्वारा निर्धारित आरक्षण व्यवस्था का पालन किया जाना होगा।

3– चयन से पूर्व परिनियमावली तैयार करा ली जाय यदि परिनियमावली तत्काल तैयार किया जाना सम्भव नहीं है तो चयन प्रकिया के सम्बन्ध में मार्ग दर्शीय सिद्धान्त तैयार कराकर शासन से अनुमोदन लिया जाना होगा।

4– पदों के सृजन का आशय यह नहीं है कि तत्काल नियुक्ति कर ली जाय,नियुक्ति की प्रकिया तभी प्रारम्भ की जाय जब विषय संचालित किया जाना आवश्यक हो तथा उसके संचालन के लिए संवैधानिक संस्थाओं का अनुमोदन (यदि आवश्यक हो)प्राप्त कर लिया गया हो। इस सम्बन्ध में सम्बन्धित संस्थाओं के मानको का भी अनुपालन किया जाना होगा।

5– विश्वविद्यालय को चतुर्थ श्रेणी के पदों का सृजन नहीं किया जा रहा है विश्वविद्यालय द्वारा मॉगे गये पदों के सापेक्ष अधिकारियों की विद्यगानता के अनुरुप आउटसोर्सिग के आधार पर कार्य कराया जायेगा जिसके लिए पदों के सृजन की आवश्यकता नहीं है।

6– अधिष्ठाता तथा सहायक अधिष्ठाता के पदों के सापेक्ष कार्यरत आचार्य/सहायक आचार्य से ही कार्य लिया जायेगा इन पदों पर अलग से नियुक्ति नहीं की जायेगी। अधिष्ठता/सहायक अधिष्ठाता का पद विभाग के प्रति समायोजित किया जायेगा तथा वह शिक्षण कार्य भी करेगा जैसा कि अन्य विश्वविद्यालयों में किया जाता है।

7— उक्त पदों के सृजन पर होने वाला व्यय भार वर्तमान वित्तीय वर्ष 2006—2007 के आय—व्ययक की अनुदान संख्या—11 के आयोजनागत पक्ष के अधीन लेखाशीर्षक—2202—सामान्य शिक्षा—03—विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा—102—विश्वविद्यालयों को सहायता—05—दून विश्विद्यालय—20—सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता के नामें डाला जायेगा।

8— यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या— 233 /XXVII(3) 2006 दिनॉक 24 जून,2006 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(एस0 के0माहेश्वरी)
अपर सचिव।

संख्या— 360 /XXIV(6)/2006 तद्दिनॉक।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

(1) वित्त अधिकारी,दून विश्वविद्यालय,देहरादून।
(2) कोषाधिकारी,देहरादून।
(3) विभागीय आदेश पुस्तिका।

आज्ञा से,

(के0पी0पाटनी)
अनु सचिव।

-DU/20
413

संख्याः 122/XXIV(6)/2009

कः

इन्दुधर बौड़ाई,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

कुलपति,
दून विश्वविद्यालय,
देहरादून, उत्तराखण्ड।

शिक्षा अनुभाग–6 देहरादून दिनांक 2 मार्च फरवरी, 2009

विषयः– दून विश्वविद्यालय के लिए कुलसचिव पद के सृजन के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक अपने के पत्र संख्या–608/23/वी0सी0/डी0यू0/2008 दिनांकः 19.08.08 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय दून विश्वविद्यालय के संचालन हेतु निम्नांकित पद को शासनादेश निर्गत होने की तिथि से दिनांकः 28.02.2009 तक, बशर्ते इससे पूर्व यह पद समाप्त न कर दिया जाय, सृजित करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः–

क्रम0 सं0	पद का नाम	वेतनमान रूपये में	पदों की संख्या
1.	कुलसचिव	10650–325–15850	–01–

2– पदधारक को वेतन के अतिरिक्त समय–समय पर निर्गत शासनादेशों के अनुसार महंगाई भत्ता एवं अन्य भत्ते भी देय होंगे।

3– उक्त पद पर नियुक्ति सुसंगत परिनियमावली के अनुसार की जायेगी।

4– उक्त पद के सृजन पर होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2008–09 के आय–व्ययक की अनुदान संख्या–11 के आयोजनागत पक्ष के अधीन लेखाशीर्षक–2202–सामान्य शिक्षा–03–दून विश्वविद्यालय तथा उच्चतम शिक्षा–102 विश्वविद्यालयों को सहायता–05–दून विश्वविद्यालय–20–सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता के नामे डाला जायेगा।

संख्या 32/XXIV(6)/2010

शत्रुघ्न सिंह,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन ।

सेवा में,

कुलपति,
दून विश्वविद्यालय,
केदारपुरम, देहरादून ।

शिक्षा अनुभाग–6 (उच्च शिक्षा)

देहरादून दिनांक 7 जनवरी 2010

विषय : दून विश्वविद्यालय में पूर्व में स्कूल आफ मास कम्युनिकेशन में सृजित वैयक्तिक सहायक वेतनमान रू0 9300–34800 (रू0 5500–175–9000 पुराना वेतनमान) को समाप्त करते हुए प्रोग्रामिंग असिस्टेन्ट या कन्सोल ऑपरेटर के 01 पद वेतनमान रू0 9300–34800 (रू0 5500–175–9000 पुराना वेतनमान) सृजित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक संख्या–174/23/वीसी–डीयू/2009/23 दिनांक09.09.2009, संख्या–1199/वीसी–डीयू/2009/दिनांक 14.10.2009 एवं 232/वीसी–डीयू/2009/दिनांक11.11.2009 के सदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या 360/XXIV(6)/2006 दिनांक 30 जून, 2006 द्वारा दून विश्वविद्यालय हेतु सृजित स्कूल आफ मास कम्युनिकेशन में सृजित वैयक्तिक सहायक वेतनमान रू0 9300–34800 ग्रेड पे–4200/(रू0 5500–175–9000 पुराना वेतनमान) को समाप्त करते हुए प्रोग्रामिंग असिस्टेन्ट या कन्सोल ऑपरेटर के अस्थायी पद वेतनमान रू0 9300–34800 ग्रेड पे– 4200/(रू0 5500–175–9000 पुराना वेतनमान) को दिनांक 28.02.2010 तक, बसर्ते यह पद इससे पूर्व बिना पूर्व सूचना समाप्त न कर दिया जाय सृजित किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2– उक्त पद पर नियुक्ति विश्वविद्यालय के सेवा नियम/परिनियम/संगत नियमों के अनुसार की जायेगी।

3– शासनादेश संख्या–360/XXIV(6)/2006 दिनांक 30 जून, 2006 द्वारा स्कूल आफ मास कम्यूनिकेशन में सृजित वैयक्तिक सहायक के पद को भविष्य में किसी दशा में पुनः सृजित नहीं किया जायेगा।

4– पूर्व निर्गत शासनादेश संख्या–360/XXIV(6)/2006 दिनांक 30 जून, 2006 को उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाय ।

5– यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पत्र संख्या–42(P)XXIV(3)/09–10 दिनांक:11 दिसम्बर, 2009 में जारी प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहें है।

भवदीय

(शत्रुघ्न सिंह)
प्रमुख सचिव

पृष्ठांकन संख्या : 32 /XXIV(6)/2009 तद्दिनांकित :

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. अपर सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड ।
2. कुलसचिव/वित्त नियन्त्रक, दून विश्वविद्यालय, देहरादून
3. वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
4. गार्ड फाइल ।

आज्ञा से

(अधिका झा)
अपर सचिव

प्रेषक :

संख्याः 32/XXIV(6)/2010

अधिकारी ज्ञा,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

कुलपति,
दून विश्वविद्यालय,
देहरादून।

शिक्षा अनुभाग–6 (उच्च शिक्षा)

देहरादूनः दिनांकः 12 मार्च, 2010

विषयः— दून विश्वविद्यालय में **School of Languages** हेतु विभिन्न पदों का सृजन किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्याः— 229/वी.सी.–डी.यू./2009 दिनांकः 05.11.2009 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय दून विश्वविद्यालय में School of Languages पाठ्यक्रम हेतु निम्नांकित तालिका में उल्लिखित पदों पर नियुक्ति होने अथवा प्रशासनादेश निर्गत होने की तिथि, जो भी बाद में हो, से 28 फरवरी, 2011 तक के लिए सृजित करने की इस शर्त के साथ स्वीकृति प्रदान करते हैं बशर्ते कि ये पद इसके पूर्व ही बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त न कर दिये जाएं :–

क्रमसं.	पदनाम	पदों की संख्या	वेतनबैण्ड + ग्रेड पे	
01	प्रोफेसर	01	37400–67000	10,000
02	एसोसिएट प्रोफेसर	05	15600–39100	8,000
03	असिस्टैन्ट प्रोफेसर	05	15600–39100	6,000
04	वैयक्तिक सहायक	01	9300–34800	4,200
05	कनिष्ठ सहायक	02	5200–20200	1,900
		कुल–14 (मात्र चौदह पद)		

2— उक्त पद के धारकों को उक्त पद के वेतन के अलावा समय–2 पर निर्गत आदेशों के अनुसार मंहगाई तथा अन्य भत्ते आदि भी देय होंगे। उक्त पदों पर चयन के सम्बन्ध में कार्यवाही विश्वविद्यालय के सांविधि नियम/परिनियम/संगत नियमों के अनुसार की जायेगी एवं कार्मिक विभाग द्वारा निर्धारित आरक्षण व्यवस्था का पालन किया जाना होगा।

3— पदों के सृजन का आशय यह नहीं है कि तत्काल नियुक्ति कर ली जाए, नियुक्ति की प्रक्रिया तभी प्रारम्भ की जाए जब उक्त विषय संचालित किया जाना आवश्यक हो तथा उसके

संचालन के लिए सांविधानिक संस्थाओं का अनुमोदन (यदि आवश्यक हो) प्राप्त कर लिया गया हो। इस सम्बन्ध में सम्बन्धित संस्थाओं के मानकों का भी अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

उक्त पदों के सृजन पर होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2009–2010 के आय-व्ययक की अनुदान संख्या–11 के अधीन लेखा शीर्षक–2202 सामान्य शिक्षा–03–विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा–आयोजनागत–102–विश्वविद्यालयों को सहायता–05 दून विश्वविद्यालय–00–सहायक अनुदान/अंशदान/खुज सहायता के नामे डाला जायेगा।

यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या–891(F)/XXVII(3)/2010 दिनाँक 05 मार्च, 2010 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(राधिका झा)
अपर सचिव

संख्या – (1)/XXIV(6) 2010 तद्दिनाँक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(1) अपर सचिव, श्री सञ्जपाल, उत्तराखण्ड/जिलाधिकारी, देहरादून।
(2) कुलसचिव/वित्त नियंत्रक, दून विश्वविद्यालय, देहरादून।
(3) वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
(4) उच्च शिक्षा अनुभाग–7/वित्त अनुभाग–3 एवं 7
(5) विभागीय आदेश पुस्तिका।

आज्ञा से,

(पी0एल0 शाह)
उप सचिव

No. 639/R-DU/20
Date 9/6/13..... संख्या :– /58/XXIV(6)/2013

सेवा में,

राधा रतूड़ी,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

कुलसचिव,
दून विश्वविद्यालय, केदारपुरम,
देहरादून।

शिक्षा अनुभाग–6 (उच्च शिक्षा) देहरादून दिनांक 03 मई, 2013

विषय :– दून विश्वविद्यालय में एम0टैक, इन्वारमेंटल टैक्नोलॉजी एवं एम0ए0 जापानी इंटीग्रेटेड प्रोग्राम को आरम्भ करने हेतु पदों के सृजन के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–451/232/अरि–डी0यू/2013 दिनांक 16.5.2013 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि दून विश्वविद्यालय हेतु निम्नांकित तालिका में शैक्षिक संवर्ग में सृजित कुल–06 पदों को उनके सम्मुख अंकित वेतनमान में नियुक्ति होने अथवा शासनादेश निर्गत होने की तिथि, जो भी बाद में हो, से दिनांक 28.2.2014 तक एवं अस्थायी व्यवस्थान्तर्गत आउट सोर्सिंग के माध्यम से सृजित कुल–02 पदों को 01 वर्ष के लिए भरे जाने की महामहिम श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं, बशर्ते कि ये पद इससे पूर्व ही बिना किसी सूचना के पूर्व समाप्त न कर दिये जाय।

क्र.सं.	पदनाम	पदों की संख्या	वेतनमान / ग्रेड पे
एम0टैक. इन्वारमेंटल टैक्नोलॉजी–			
1	एसोसिएट प्रोफेसर	01	₹15600–39100+8000
2	असिस्टेंट प्रोफेसर	01	₹15600–39100+6000
3	लैब टैक्निशियन	01	आउट सोर्सिंग द्वारा
	कुल–	03	
एम0ए0. जापानी इंटीग्रेटेड प्रोग्राम–			
1	प्रोफेसर	01	₹37400–67000+10000
2	एसोसिएट प्रोफेसर	01	₹15600–39100+8000
3	असिस्टेंट प्रोफेसर	02	₹15600–39100+6000
4	जूनियर असिस्टेंट	01	आउट सोर्सिंग द्वारा
	कुल–	05	योग– 03+05= 08 (आठ पद)

2– पदो के चयन के संबध में कार्मिक विभाग, उत्तराखण्ड शासन द्वारा निर्धारित आरक्षण व्यवस्था का पालन सुनिश्चित किया जाना होगा। शैक्षिक पदों के चयन हेतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली द्वारा निर्धारित अर्हताओं तथा विश्वविद्यालय की परिनियमावली में अंकित व्यवस्थानुसार पदों का दैनिक समाचार पत्रों में विज्ञापन प्रकाशित करने की कार्यवाही सुनिश्चित करते हुये किया जाय।

3– पदो के सृजन का आशय यह नही है कि तत्काल नियुक्ति कर ली जाय, नियुक्ति प्रक्रिया तभी प्रारम्भ की जाय, जब विभागों में विषय संचालित करने हेतु पर्याप्त संख्या में छात्रों का प्रवेश उपलब्ध हो, न्यूनतम आवश्यकता के आधार पर ही शैक्षिक पद भरे जायें तथा उसके परिपालन के लिए सांविधिक संस्थाओं की अनुमोदन (यदि आवश्यक हो) प्राप्त कर लिया गया हो। इस संबंध में संबंधित सांविधिक संस्थाओं के मानकों का भी अनुपालन सुनिश्चित किया

क्रमशः पृष्ठ–2

जाय। उक्त आउट सोर्सिंग के सृजित पदों को शासनादेश संख्या 506/XVII-3/ [illegible] 09(17)/2004 दिनांक 18 नवम्बर, 2011 परिशिष्ट–'क' में उल्लिखित व्यवस्थानुसार मानदेय का भुगतान किया जायेगा।

4— संस्था में एम0टैक, इन्वारमेंटल टेक्नोलॉजी पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने हेतु उक्त तालिकानुसार राज्य सरकार द्वारा सृजित पदों की नियुक्ति की तिथि से वेतन–भत्ता का भुगतान प्रथम पाँच वर्षों के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यू0जी0सी0), नई दिल्ली द्वारा उनके पत्र संख्या. F.14-10/2013(Inno/ASIS1) दिनांक 30.3.2013 में दी गई स्वीकृति वचनबद्धता के अनुसार वहन किया जायेगा।

5 यू0जी0सी0 की उक्त अवधि के पश्चात विश्वविद्यालय द्वारा कार्मिकों के वेतन एवं पाठ्यक्रमों के संचालन की स्थिति से उच्च शिक्षा विभाग को सूचित किया जाना होगा। उच्च शिक्षा विभाग द्वारा विश्वविद्यालय स्तर पर संचालित उक्त दोनों पाठ्यक्रमों के निकट भविष्य में निरन्तर बने रहने की संभावना की समीक्षा करायी जायेगी। तदुपरांत राज्य सरकार द्वारा पदों की वचनबद्धता एवं वेतन आदि पर अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु उचित निर्णय लिया जायेगा।

6— उक्त पदों के सृजन पर होने वाला व्यय–भार आलोच्य वित्तीय वर्ष 2013–2014 में आय–व्ययक की अनुदान संख्या–11 के आयोजनागत मद के अधीन लेखाशीर्षक– 2202–सामान्य शिक्षा–03–विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा–102–विश्वविद्यालयों को सहायता –05–दून विश्वविद्यालय–43–सहायक अनुदान/अंशदान/वेज सहायता के सुसंगत खाते के नामे डाला जायेगा।

7— यह आदेश वित्त–विभाग के अशासकीय संख्या 22(P)/XXVII(3)/2013 दिनांक 30 मई, 2013 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीया,

(राधा रतूड़ी)
प्रमुख सचिव।

संख्या– [illegible] /XXIV(6) 2013 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1 संयुक्त सचिव, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, बहादुरशाह जफर मार्ग, नई दिल्ली।
2 महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3 निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, उत्तराखण्ड।
4 वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
5 आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी गढ़वाल।
6 निदेशक, उच्च शिक्षा, हल्द्वानी।
7 निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।
8 वित्त अनुभाग–3 एवं वित्त अनुभाग–7, उत्तराखण्ड शासन।
9 गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(श्याम सिंह)
अनु सचिव

No. 701 /VC-DU/2014
Dated 23-12-14

संख्याः ---/XXIV(6)/2014-53/12

प्रेषक,

निधि मणि त्रिपाठी,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

कुलसचिव,
दून विश्वविद्यालय,
देहरादून।

शिक्षा अनुभाग-6 (उच्च शिक्षा)

देहरादून: दिनांक 23 दिसम्बर, 2014

विषयः- दून विश्वविद्यालय में नये पाठ्यक्रम आरम्भ करने हेतु शिक्षकों एवं शिक्षणेत्तर पदों के सृजन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-596/221/आर-डीयू दिनांक 03.9.2014 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा दून विश्वविद्यालय में स्नातक स्तर पर बी0एस0सी0 पाठ्यक्रम के लिए सत्र 2015-2016 से प्रस्तावित नये शैक्षणिक पाठ्यक्रमों हेतु शिक्षण एवं शिक्षणेत्तर पदों के पदों को सृजित किए जाने का अनुरोध किया गया है।

उक्त सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है दून विश्वविद्यालय, देहरादून में स्नातक स्तर पर बी0एस0सी0 पाठ्यक्रम हेतु निम्नांकित तालिकाबद्ध शैक्षिक एवं शिक्षणेत्तर संवर्ग के पदों को उनके सम्मुख अंकित वेतनमान में दिनांक 28.2.2015 तक बशर्ते कि उक्त पदों को बिना किसी पूर्व सूचना के उससे पूर्व समाप्त न कर दिया जाय, सृजित किए जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-

क्रमांक	पदनाम	पदों की संख्या	वेतनमान/ग्रेड पे रू0
भौतिक विज्ञान (स्नातक स्तर)			
1.	असिस्टेंट प्रोफेसर	03	15600-39100/6000
2.	प्रयोगशाला सहायक	02	5200-20000/1900
	कुल	05	
गणित (स्नातक स्तर)			
1	असिस्टेंट प्रोफेसर	03	15600-39100/6000
2	प्रयोगशाला सहायक	01	5200-20000/1900
	कुल	04	
रसायन विज्ञान (स्नातक स्तर)			
1.	असिस्टेंट प्रोफेसर	03	15600-39100/6000

Dr. SUNITA TYAGI
REGISTRAR
DOON UNIVERSITY
DEHRADUN (INDIA)

2	प्रयोगशाला सहायक	02	5200-20200 / 4600
	कुल	06	
कम्प्यूटर विज्ञान (स्नातक स्तर)			
1.	असिस्टेंट प्रोफेसर	03	15600-39100 / 6000
2	प्रयोगशाला सहायक	01	5200-20200 / 4600
	कुल	04	
सभी विभागों हेतु शिक्षणेत्तर पद			
1.	प्रवर सहायक	01	5200-20200 / 4600
2	कनिष्ठ सहायक	01	5200-20200 / 4600

3— पदों के चयन के संबंध में परिनिश्चायनी में अन्तर्लिखित व्यवस्था के साथ-साथ कार्मिक विभाग, उत्तराखण्ड शासन द्वारा निर्धारित आरक्षण व्यवस्था का पालन सुनिश्चित किया जाना होगा।

4— उक्त शैक्षिक पदों के चयन हेतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली द्वारा निर्धारित अर्हताओं तथा सेवा शर्तें एवं चयन विश्वविद्यालय के अधिनियम/परिनिश्चायनी में अन्तर्लिखित व्यवस्थानुसार पदों का दैनिक समाचार पत्रों में विज्ञापन प्रकाशित करने की कार्यवाही सुनिश्चित करते हुये किया जाय।

5— पदों के सृजन का आशय यह नहीं है कि तत्काल नियुक्ति कर ली जाय, पदों पर चयन/नियुक्ति प्रक्रिया तभी प्रारम्भ की जाय, जब प्रस्तावित पाठ्यक्रमों को संचालित करने हेतु पर्याप्त संख्या में छात्रों का प्रवेश उपलब्ध हो, सूचनाग आवश्यकता के आधार पर ही शैक्षिक पद भरे जाये।

6— उक्त पाठ्यक्रमों के संचालन के लिए सांविधिक संस्थाओं की अनुमोदन (यदि आवश्यक हो) अवश्यमेव प्राप्त कर लिया गया हो। इस संबंध में संबंधित सांविधिक संस्थाओं के मानकों का भी अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

7— इस संबंध में विश्वविद्यालय स्तर पर संचालित उक्त पाठ्यक्रमों के निकट भविष्य में निरन्तर बने रहने की संभावना की समीक्षा करायी जायेगी। साथ ही उक्त विभागों में सृजित पदों का विषय परिवर्तन किसी भी दशा में नहीं किया जाएगा।

8— नये पदों के सृजन/ढांचे, नई भर्ती-निर्देश या वर्तमान भर्ती में संशोधन, नियमावली का गठन, नियमावलियों अथवा जिन पदों के निरन्तर रिक्त रहने की संभावना हो आदि से संबंधित सूचना/प्रकरण शासन को प्रेषित किए जाएं, ताकि संबंधित विभागों के प्रस्तावों पर अनुमोदन प्रदान किया जा सके।

9— उक्त पदों के सृजन पर होने वाला व्यय भार वित्तीय वर्ष 2014-2015 के आय व्यय की अनुदान संख्या-11 के आयोजनागत पद (Plan) के अधीन लेखाशीर्षक-2202-सामान्य शिक्षा-03- विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा-102-विश्वविद्यालयों को सहायता-05-[illegible]

कार्यालयीय ज्ञा० वेतन भत्ता आदि के लिए धनादेश अनुदान की सुरक्षित इकाई के नाम होना चाहिए।

2. यह आदेश वित्त-विभाग के अशासकीय सख्या- 206(1)/XXVII(3)/2014-2015 दि0 25.11.14 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीया,

(निधि यादव त्रिपाठी)
सचिव

संख्या- 207/ (1)/XXVII(3)/2014 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. कुलपति, दृ। विश्वविद्यालय, देहरादून।
3. महालेखाकार, औदरय लिटरेचर, माजरा, देहरादून।
4. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, उत्तराखण्ड।
5. कोषाधिकारी, देहरादून।
6. निदेशक, उच्च शिक्षा, देहरादून।
7. निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।
8. वित्त अनुभाग- 1 एवं वित्त अनुभाग 2, उत्तराखण्ड शासन।
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(लक्ष्मण सिंह)
संयुक्त सचिव।

संख्याः 867/XXIV(6)/2016–01(27)/2015

प्रेषक,

डा0 रंजीत कुमार सिन्हा,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

कुलसचिव,
दून विश्वविद्यालय,
केदारपुरम, देहरादून।

शिक्षा अनुभाग–6 (उच्च शिक्षा) देहरादूनः दिनांकः 01 सितम्बर, 2016

विषयः दून विश्वविद्यालय हेतु शिक्षणेत्तर पदों का सृजन किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्याः–933/047-R-DU/2015 दिनांक 16.12.2015 एवं 225/94/एफ0सी0/डी0यू0/2015–16 दिनांक 22.01.2016 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय, दून विश्वविद्यालय में शिक्षणेत्तर संवर्ग में निम्नलिखित तालिका में उल्लिखित पदों का शासनादेश निर्गत होने की तिथि, से 28 फरवरी, 2017 तक के लिए सृजित करने की इस शर्त के साथ स्वीकृति प्रदान करते हैं बशर्ते कि ये पद इसके पूर्व ही बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त न कर दिये जाएंः–

क्र. सं.	पद का नाम	पदों की संख्या	वेतनमान
1.	स्टूडियो टैक्नीशियन, स्कूल ऑफ कम्युनिकेशन	02	रू0 9300–34800 ग्रेड पे 4200
2.	स्टूडियो सहायक, स्कूल ऑफ कम्युनिकेशन	01	रू0 5200–20200 ग्रेड पे 1900
3.	टैक्नीकल ऑफिसर, स्कूल और इन्वायरन्मेंट एवं नेचुरल रिर्सोसेज	01	रू0 15600–39100 ग्रेड पे 5400
4.	प्रयोगशाला सहायक, स्कूल ऑफ इन्वायरन्मेंट एवं नेचुरल रिर्सोसेज	01	रू0 5200–20200 ग्रेड पे 1900
5.	सीनियर सिस्टम एनालिस्ट, आई0सी0टी0 विभाग	01	रू0 15600–39100 ग्रेड पे 6000
6.	जूनियर सिस्टम एनालिस्ट, आई0सी0टी0 विभाग	01	रू0 9300–34800 ग्रेड पे 4200
7.	असिस्टैंट इंजीनियर सिविल, परिसर निर्माण एवं रख रखाव	01	रू0 15600–39100 ग्रेड पे 5400
8.	जूनियर इन्जीनियर	01	रू0 9300–34800 ग्रेड पे 4200
9.	एल0एम0वी0 ड्राइवर, विश्वविद्यालय प्रशासन	02	रू0 5200–20200 ग्रेड पे 1900
कुल शिक्षणेत्तर पद–		11	

2– उक्त के धारकों को उक्त पद के वेतन के अलावा समय–समय पर निर्गत आदेशों के अनुसार मंहगाई तथा अन्य भत्ते आदि भी देय होंगे। उक्त पदों पर चयन के सम्बन्ध में कार्यवाही विश्वविद्यालय के सेवा नियम/परिनियम/संगत नियमों के अनुसार की जायेगी एवं कार्मिक विभाग द्वारा निर्धारित आरक्षण व्यवस्था का पालन किया जाना होगा।

3— पदों के सृजन का आशय यह नहीं है कि तत्काल नियुक्ति कर ली जाए, नियुक्ति की प्रकिया तभी प्रारम्भ की जाए जब उक्त विषय संचालित किया जाना आवश्यक हो तथा उसके संचालन के लिए संवैधानिक संस्थाओं का अनुमोदन (यदि आवश्यक हो) प्राप्त कर लिया गया हो। इस सम्बन्ध में सम्बन्धित संस्थाओं के मानकों का भी अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

4— उक्त पदों के सृजन पर होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2016–2017 के आय–व्ययक की अनुदान संख्या–11 के अधीन लेखा शीर्षक–2202 सामान्य शिक्षा–03–विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा–आयोजनागत–102–विश्वविद्यालयों को सहायता–05 दून विश्वविद्यालय–00–20– सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता के नामें डाला जायेगा।

5— यह आदेश वित्त विभाग के आशासकीय संख्या–390/xxvii(7)/16दिनांक 30.08.2016 2016 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(डा0 रंजीत कुमार सिन्हा)
अपर सचिव

पृष्ठांकनः— (1)/XXIV(6)/2016–01(27)/2015 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

(1) अपर सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड/जिलाधिकारी, देहरादून।
(2) कुलसचिव/वित्त नियंत्रक, दून विश्वविद्यालय, देहरादून।
(3) वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
(4) वित्त अनुभाग–3 एवं 7 उत्तराखण्ड शासन।
(5) गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(लक्ष्मण सिंह)
संयुक्त सचिव

No. 1) /R-DU/26/17
Date 3/1/17

संख्याः 1326/XXIV(6)/2016–01(27)/2015

प्रेषक,

लक्ष्मण सिंह,
संयुक्त सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

कुलसचिव,
दून विश्वविद्यालय,
देहरादून।

शिक्षा अनुभाग–6 (उच्च शिक्षा) देहरादून, दिनांकः 30 दिसम्बर, 2016

विषयः दून विश्वविद्यालय हेतु शिक्षणेत्तर पदों का सृजन किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्याः–718/232/R-DU/2016 दिनांक 23.09.2016 एवं संख्याः–944/232/R-DU/2016 दिनांक 21.12.2016 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय, दून विश्वविद्यालय में शिक्षणेत्तर संवर्ग में निम्नलिखित तालिका में उल्लिखित पदों का शासनादेश निर्गत होने की तिथि, से 28 फरवरी, 2017 तक के लिए सृजित करने की इस शर्त के साथ स्वीकृति प्रदान करते हैं बशर्ते कि ये पद इसके पूर्व ही बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त न कर दिये जाएंः–

क0 सं0	पद का नाम	वेतनमान (रू0 में)	स्वीकृत पद
1.	प्रधान सहायक	9300–34800+4200	01
2.	तकनीकी सहायक–परीक्षा/कम्प्यूटर प्रयोगशाला/जी०आई०एस० प्रयोगशाला/डिजाइन प्रयोगशाला	5200–20200+2800	01
3	छात्रावास सहायक	5200–20200+1900	01
4	इलेक्ट्रीशियन (वायरमैन)	5200–20200+2000	01
5	प्लम्बर	5200–20200+1900	01
6	उद्यान सहायक	आउटसोर्स	01
7.	स्वागती	5200–20200+1900	01
8	कुक	आउटसोर्स	01
9	वर्कशॉप सहायक (डिजाइन प्रयोगशाला)	5200–20200+1800	01
10	डाटा एन्ट्री ऑपरेटर	5200–20200+2000	01
11	बहुद्देश्य कार्मिक–(केयरटेकर, लैब अटेन्डैन्ट, फोटोकॉपियर, वार्ड ब्वाय)	5200–20200+1800	05
12	सहायक सम्पर्क अधिकारी	5200–20200+2000	01
		योग–	16

2– उक्त के धारकों को उक्त पद के वेतन के अलावा समय–समय पर निर्गत आदेशों के अनुसार महंगाई तथा अन्य भत्ते आदि भी देय होंगे। उक्त पदों पर चयन के सम्बन्ध में कार्यवाही विश्वविद्यालय के सेवा नियम/परिनियम/संगत नियमों के अनुसार की जायेगी एवं कार्मिक विभाग द्वारा निर्धारित आरक्षण व्यवस्था का पालन किया जाना होगा।

File postcreation

Established)

क्रमशः.....2

3– पदों के सृजन का आशय यह नहीं है कि तत्काल नियुक्ति कर ली जाए, नियुक्ति की प्रकिया तभी प्रारम्भ की जाए जब उक्त विषय संचालित किया जाना आवश्यक हो तथा उसके संचालन के लिए संवैधानिक संस्थाओं का अनुमोदन (यदि आवश्यक हो) प्राप्त कर लिया गया हो। इस सम्बन्ध में सम्बन्धित संस्थाओं के मानकों का भी अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

4– उक्त पद पर चयन/नियुक्ति की कार्यवाही उक्त पदों हेतु अर्हता एवं कार्यदायित्व निर्धारित करने के उपरान्त ही की जायेगी।

5– उक्त पद पर चयन/नियुक्ति नियमानुसार समस्त आवश्यक प्रकिया पूर्ण करने के उपरान्त ही की जायेगी।

6– यह आदेश वित्त विभाग के आशासकीय संख्या–243(P)XXVII(3)-2016-17 दिनांक 28.12.2016 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(लक्ष्मण सिंह)
संयुक्त सचिव

संख्याः–1326 (1)/XXIV(6)/2016–01(27)/2015, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

(1) महालेखाकार लेखा एवं हकदारी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
(2) अपर सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
(3) जिलाधिकारी, देहरादून।
(4) कुलपति/वित्त नियंत्रक, दून विश्वविद्यालय, देहरादून।
(5) वरिष्ठ कोषाधिकारी, नैनीताल।
(6) उच्च शिक्षा अनुभाग–7/वित्त अनुभाग–3 एवं 7
(7) विभागीय आदेश पुस्तिका।

(लक्ष्मण सिंह)
संयुक्त सचिव

संख्याः– 794 / XXIV(6) / 2017–12(140) / 2015

प्रेषक,

एम०एम० सेमवाल,
संयुक्त सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

कुलसचिव, ✓
दून विश्वविद्यालय,
देहरादून।

शिक्षा अनुभाग–6 (उच्च शिक्षा) देहरादूनः दिनांकः 03 अगस्त, 2017

विषयः दून विश्वविद्यालय हेतु विभिन्न शैक्षिक एवं शिक्षणेत्तर पदों के सृजन किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उर्पयुक्त विषयक कुलपति, दून विश्वविद्यालय के पत्र संख्या–33/232/VC-DU/2017 दिनांक 12.04.2017 का अवलोकन करने का कष्ट करें।

इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय दून विश्वविद्यालय में विभिन्न श्रेणी के 16 शैक्षिक एवं शिक्षणेत्तर पदों के सृजन की निम्नलिखित तालिका में उल्लिखित अस्थायी पदों का शासनादेश निर्गत होने की तिथि से 28 फरवरी, 2018 तक के लिए सृजित करने की इस शर्त के साथ स्वीकृति प्रदान करते हैं, बशर्ते कि ये पद इसके पूर्व ही बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त न कर दिये जाएंः–

विदेशी भाषा स्कूल (School of Foreign Languages)

क्र0सं0	विभाग / विषय	पदनाम	वेतनमान रु0 में	पदों की संख्या
1.	चाइनीज भाषा विभाग	असिस्टेन्ट प्रोफेसर	15600–39100–6000	01 (एक)
2.	स्पैनिश भाषा विभाग	असिस्टेन्ट प्रोफेसर	15600–39100–6000	01 (एक)
3.	जर्मन भाषा विभाग	असिस्टेन्ट प्रोफेसर	15600–39100–6000	01 (एक)
4.	जापानी भाषा विभाग	असिस्टेन्ट प्रोफेसर	15600–39100–6000	01 (एक)
5.	फ्रेन्च भाषा विभाग	असिस्टेन्ट प्रोफेसर	15600–39100–6000	01 (एक)
	योग–			05 (पांच)

स्कूल ऑफ सोशल साइन्सेज (School of Social Sciences)

क्र0सं0	विभाग / विषय	पदनाम	वेतनमान रु0 में	पदों की संख्या
1.	अर्थशास्त्र विभाग	असिस्टेन्ट प्रोफेसर	15600–39100–6000	01 (एक)
	योग–			01 (एक)

क्रमशः.....2

For information of Hon'ble V.C.
05-08-17

AR

स्कूल ऑफ फिजिकल साइन्सेज (School of Physical Sciences)

क्र0सं0	विभाग / विषय	पदनाम	वेतनमान रु0 में	पदों की संख्या
1.	भौतिकी शास्त्र विभाग	एसोसिएट प्रोफेसर	37400–67000–9000	01 (एक)
2.	रसायन शास्त्र विभाग	एसोसिएट प्रोफेसर	37400–67000–9000	01 (एक)
3.	गणित विभाग	एसोसिएट प्रोफेसर	37400–67000–9000	01 (एक)
4.	कम्प्यूटर विज्ञान विभाग	एसोसिएट प्रोफेसर	37400–67000–9000	01 (एक)
	योग–			04 (चार)

स्कूल ऑफ लैगुएज (School of Languages)

क्र0सं0	विभाग / विषय	पदनाम	वेतनमान रु0 में	पदों की संख्या
1.	अंग्रेजी विभाग	एसोसिएट प्रोफेसर	37400–67000–9000	01 (एक)
		असिस्टेन्ट प्रोफेसर	15600–39100–6000	01 (एक)
	योग–			02 (दो)

स्कूल ऑफ डिजाइन (School of Design)

क्र0सं0	विभाग / विषय	पदनाम	वेतनमान रु0 में	पदों की संख्या
1.	स्कूल ऑफ डिजाइन	प्रोफेसर	37400–67000–10000	01 (एक)
		एसोसिएट प्रोफेसर	37400–67000–9000	01 (एक)
		असिस्टेन्ट प्रोफेसर	15600–39100–6000	02 (दो)
	योग–			04 (चार)
	कुल योग–			16 (सोलह)

2– उक्त स्वीकृत पदों पर भर्ती दून विश्वविद्यालय अधिनियम तथा सुसंगत परिनियमावली की व्यवस्थानुसार ही सुनिश्चित की जायेगी। यदि परिनियमावली में इन पदों के संदर्भ में व्यवस्था न हो तो सर्वप्रथम एतदहेतु परिनियमावली का नियमानुसार गठन कर लिया जायेगा।

3– उक्त के धारकों को उक्त पद के वेतन के अलावा समय–समय पर निर्गत आदेशों के अनुसार महंगाई तथा अन्य भत्ते आदि भी देय होंगे। उक्त पदों पर चयन के संबंध में कार्यवाही विश्वविद्यालय के सेवा नियम / परिनियम / संगत नियमों के अनुसार की जायेगी एवं राज्य सरकार द्वारा निर्धारित आरक्षण व्यवस्था का पालन किया जाना बाध्यकारी होगा।

4– पदों के सृजन का आशय यह नहीं है कि तत्काल नियुक्ति कर ली जाए, नियुक्ति की नियमानुसार–प्रकिया तभी प्रारम्भ की जाए, जब उक्त नियमानुसार विषय संचालित किया जाना आवश्यक हो तथा उसके संचालन के लिए संवैधानिक संस्थाओं का अनुमोदन (यदि आवश्यक हो) प्राप्त कर लिया गया है। इस संबंध में संबंधित संस्थाओं के मानकों का भी अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

क्रमशः.....3

5– यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या–51(म)XXVII(3)-2017, दिनांक 27.07.2017 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(एम०एम० सेमवाल)
संयुक्त सचिव

संख्या– —— (1) / XXIV (6)/2017-12(140)/2015, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

(1) महालेखाकार लेखा एवं हकदारी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
(2) अपर सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
(3) जिलाधिकारी, देहरादून।
(4) कुलपति / वित्त नियंत्रक, दून विश्वविद्यालय, देहरादून, उत्तराखण्ड।
(5) वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
(6) उच्च शिक्षा–7 / वित्त अनुभाग–3 एवं 7
(7) विभागीय आदेश पुस्तिका।

आज्ञा से,

(बी०डी० बेलवाल)
उप सचिव

संख्याः 436 / XXIV(6) / 2019–01(23) / 2018

DR

REGISTRAR
DOON UNIVERSITY
DEHRADUN (INDIA)

No. 661 / R-DU/20
Date 21/6/2019

प्रेषक,

अशोक कुमार,
प्रभारी सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

कुलसचिव,
दून विश्वविद्यालय,
देहरादून।

उच्च शिक्षा अनुभाग–6 देहरादून, दिनांक 18 जून,2019

विषयः– डॉ0 नित्यानन्द हिमालयी शोध एवं अध्ययन केन्द्र के लिए शैक्षिक एवं शिक्षणेत्तर हेतु कुल 14 पदों के सृजन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–773 / 300 / R-DU / 2018, दिनांक 20.11.2018 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि डॉ0 नित्यानन्द हिमालयी शोध एवं अध्ययन केन्द्र के लिए शैक्षिक एवं शिक्षणेत्तर हेतु कुल 14 अस्थायी पदों को उनके सम्मुख अंकित वेतनमान में दिनांक 29.02.2020 तक, बशर्ते कि इन पदों को बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त न कर दिया जाय, सृजित किए जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं:–

क0सं0	पद	वेतनमान / ग्रेड वेतन (रू0 में)	पदों की संख्या
1	2	3	4
भूगोल विषय हेतु			
1.	असिस्टेन्ट प्रोफेसर	रू0 15600–39100 G.P. 6000 / –	4
2.	प्रयोगशाला सहायक	रू0 5200–20200 G.P. 2400 / –	1
3.	कनिष्ठ सहायक	रू0 5200–20200 G.P. 1900 / –	1
4.	ग्रुप डी	आउटसोर्स से	1
		योग	7
भूगर्भ विज्ञान विषय हेतु			
5.	असिस्टेन्ट प्रोफेसर	रू0 15600–39100 G.P. 6000 / –	4
6.	प्रयोगशाला सहायक	रू0 5200–20200 G.P. 2400 / –	1
7.	कनिष्ठ सहायक	रू0 5200–20200 G.P. 1900 / –	1
8.	ग्रुप डी	आउटसोर्स से	1
		योग	7
		महायोग	14

2. स्वीकृत पदों के सापेक्ष नई नियुक्तियां की जायेगी व इस सम्बन्ध में विश्वविद्यालय के अधिनियम / परिनियमावली में उल्लिखित व्यवस्था के साथ–साथ कार्मिक विभाग, उत्तराखण्ड शासन द्वारा निर्धारित आरक्षण व्यवस्था का पालन सुनिश्चित किया जाना होगा।

3. शैक्षणिक पदों के चयन हेतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली द्वारा निर्धारित अर्हताओं तथा सेवा शर्तें विश्वविद्यालय के अधिनियम/परिनियमावली में उल्लिखित व्यवस्थानुसार की जायेगी तथा 02 दैनिक राष्ट्रीय स्तर के समाचार पत्रों एवं विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर विज्ञापन प्रकाशित करने की कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए किया जाय।

4. पदों के सृजन का आशय यह नहीं है कि तत्काल नियुक्ति कर ली जाय, नियुक्ति की प्रक्रिया तभी प्रारम्भ की जाय जब पाठ्यक्रम संचालन हेतु संवैधानिक संस्थाओं का अनुमोदन प्राप्त कर लिया गया हो। इस संबंध में संबंधित संस्थाओं के मानकों का भी अनुपालन किया जाना अनिवार्य होगा।

5. विश्वविद्यालय स्तर पर संचालित किये जा रहे उक्त पाठ्यक्रमों के निकट भविष्य में निरन्तर बने रहने की सम्भावना की समीक्षा की जाय। साथ ही उक्त विभागों में सृजित पदों का विषय परिवर्तन किसी भी दशा में नहीं किया जाएगा।

6. नये पदों के सृजन/ढांचे, नई नीति–निर्धारण या वर्तमान नीति में संशोधन निधियों का गठन, नियमावलियां अथवा जिन पदों के निरन्तर रिक्त रहने की सम्भावना हो आदि से सम्बन्धित सूचना/प्रकरण शासन को प्रेषित किए जाए, ताकि सम्बन्धित विभागों के परामर्श से अनुमोदन प्रदान किया जा सकें।

7. उक्त पदों के सृजन पर होने वाला व्यय–भार वित्तीय वर्ष 2019–20 के आय–व्ययक में अनुदान संख्या–11 के अन्तर्गत अधीन लेखाशीर्षक 2202–सामान्य शिक्षा, 03–विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा, 102–विश्वविद्यालयों को सहायता, 05–दून विश्वविद्यालय, 43–वेतन भत्ते आदि के लिए सहायक अनुदान की सुसंगत इकाई के नामें डाला जायेगा।

8. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या–244/xxvii(7)/2019, दिनांक 04.06.2019 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(अशोक कुमार)
प्रभारी सचिव।

संख्या– — (1)/XXIV(6)/2019-01(23)/2018, तद्दिनांक।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. सचिव, श्री राज्यपाल/कुलाधिपति, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. कुलपति, दून विश्वविद्यालय, देहरादून।
3. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, उत्तराखण्ड।
4. निदेशक, वित्त एवं कोषागार, उत्तराखण्ड देहरादून।
5. कोषाधिकारी, देहरादून।
6. निदेशक, उच्च शिक्षा निदेशालय, हल्द्वानी।
7. निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय प्रशासन।
8. वित्त अनुभाग–3 एंव वित्त अनुभाग–7, उत्तराखण्ड शासन।
9. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(एम0एम0 सेमवाल)
संयुक्त सचिव।

(G) Letter (D)